47

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डोर टू डोर सर्वे का कार्य जिलो में चलाया जा रहा है। सर्वे कार्य के निरीक्षण हेतु कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि डोर टू डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. द्वारा फार्म उपलब्ध नहीं कराये गये है। लगभग 20 लाख से अधिक फार्म एकत्रित करने, उनकी एन्ट्री कर जांच कराने के पश्चात निराकरण किये जाने के बाद कार्ड बनाना शेष हैं। इसके साथ ही नेशनल वोटर्स डे जो दिनांक 25 जनवरी 2012 को मनाया गया था उस दिन प्राप्त फार्मो का निराकरण भी विलम्ब से करने व कार्ड विलम्ब से वितरित किये गये हैं। अतः कार्य के विलम्ब के करणों जांच कर दोषी व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सतत अद्यतन के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय पर करवायें। फार्म प्राप्त होने पर एक सप्ताह में वेण्डर के पास पहुचना, वेण्डर दो दिन में चेकलिस्ट तैयार कर बी.एल.ओ. को देने, एक सप्ताह में बी.एल.ओ. चेकलिस्ट प्रस्तुत करने, बी.एल.ओ. से चेकलिस्ट आने पर एक सप्ताह में नाम जोड़ने के संबंध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। आवेदक से फार्म प्राप्त होने पर नियमानुसार एक माह में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 01/2013/3/ 4712 **भोपाल, दिनांक** 5/6/2012

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार के रूप में स्थानीय समाचार के प्रकाशनार्थ।
2. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, श्यामला हिल्स, भोपाल को समाचार के रूप में प्रसारनार्थ ।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा सागर को प्रसारनार्थ ।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ जिला स्तर एवं तहंसील स्तर के समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करें।

(संजय सिंह बघेल)
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश